6. राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुरुप प्रत्येक अभिन्यास के भाग में इन्फार्मल सेक्टर के लिए स्थान आरक्षित किए जायेंगे।
7. छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट एम. (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरुप विशेषतः अल्प आय वर्ग के अभिन्यास तैयार किये जाने चाहिये।

14.8 भूखण्डों के विकास मानदण्ड

आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक–अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के भूखण्डों के विकास मानदण्ड नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं। इसकी अगली सारणी में भूखण्डों के आकार के आधार पर आच्छादित क्षेत्र, फर्शी क्षेत्र अनुपात का उल्लेख किया गया है। नगर के विकसित क्षेत्र को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे मानचित्र में दर्शाया गया है। मध्य क्षेत्र (सी.ए.–सेंट्रल एरिया), सघन विकसित क्षेत्र (डी.ए.–01), मध्यम विकसित/विकास योग्य क्षेत्र (डी.ए.–02) एवं अल्प विकसित निम्न घनत्व के क्षेत्र (डी.ए.–03)। आच्छादित क्षेत्र का निर्धारण सभी विकसित क्षेत्रों में समान है, परन्तु भूखण्ड के आकार एवं उपयोग के आधार पर इसे विभक्त किया जाता है।

सारणी 14.2 : दुर्ग-भिलाई : भूखण्डों के विकास मापदण्ड आवासीय, वाणिज्यिक उपयोग में उपांतीय खुला क्षेत्र का विवरण ऊंचाई 9.5 मीटर तक

भूखण्ड की गहराई (मीटर में)	आवासीय		वाणिज्यिक		सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	
	सामने	पीछे	सामने	पीछे	सामने	पीछे
6 मी. तक	2.50	-	2.50	-	1.50	-
6 से अधिक–9 तक	2.50	-	3.00	-	1.50	1.50
9 से अधिक–12 तक	2.50	1.50	4.00	1.50	3.00	1.50
12 से अधिक–18 तक	3.00	2.00	4.50	1.50	3.00	1.50
18 से अधिक–24 तक	4.00	3.00	5.00	3.00	4.50	2.00
24 से अधिक	5.00	3.50	6.00	3.00	6.00	3.00
भूखण्ड की चौड़ाई (मीटर में)	बायें	दायें	बायें	दायें	बायें	दायें
7.5 मी. तक	-	-	-	-	-	1.50
7.5 से अधिक–9 तक	-	2.00	-	-	1.50	1.50
9 से अधिक–12 तक	-	3.00	-	-	1.75	1.50
12 से अधिक–18 तक	1.50	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00
18 से अधिक–24 तक	2.50	3.50	3.00	3.00	3.00	3.00
24 से अधिक	3.00	4.00	3.00	3.00	3.50	4.50

टीप : (1) 7.5 मीटर चौड़े भूखण्ड पर पार्श्ववर्ती निर्माण अनुज्ञेय होगा, परन्तु सामने और पीछे का खुला क्षेत्र उपर्युक्त सारणी के अनुसार रहेगा।
(2) 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर न्यूनतम सामने का उपांतीय खुला क्षेत्र (एम.ओ.एस.) निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार छोड़ना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner